

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा – 2015

आवश्यक सूचना

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

WP(s)-3239/2017 मिथुन कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा- 2015 के निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमन्त्रित किया जाता है। प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्यक्रम निम्नवत है:-

तिथि : 25.06.2018 दिन – सोमवार समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक

अनुक्रमांक:-219040089 (कुल 01)

2. प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुदेश दिया गया है:-

- क) अभ्यर्थी जाँच शुरू होने से एक घण्टा पहले जाँच स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।
 - ख) अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक-एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया (आवेदन पत्र में अपलोड किये गये फोटोग्राफ के सदृश्य) दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे।
 - ग) जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है।
 - घ) जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :-
 - i) सभी अभ्यर्थियों के लिए:- झारखण्ड राज्य से मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति) एवं उक्त परीक्षा का अंक पत्र।
 - ii) **आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए**
 - क) आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उससे सम्बन्धित सक्षम स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के जिला के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए।
 - ख) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक- 31.03.2015 के पश्चात् विहित-प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो। भारत सरकार में नियोजन के सन्दर्भ में निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र तथा सक्षम स्तर से न्यून स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
 - ग) विवरणिका के परिशिष्ट पर दर्शाये गये प्रपत्र में अभ्यर्थी के जिले के उपायुक्त/अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
 - iii) **झारखण्ड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए**

झारखण्ड राज्य में पंजीकृत गृहरक्षक के रूप में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने तथा पंजीकरण के पश्चात् छः माह की सक्रिय सेवा पूर्ण करने का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र।
3. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकतानुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित कर सकता है।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक।